18.34 HOURS.

## CONTEMPT OF HOUSE

**संसद्-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं : "यह सभा संकल्प करती है कि जो व्यक्ति अपने आप को श्री इन्द्रदेव सिंह कहता है, जिस ने आज सायंकाल 5 बज कर 5 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा-भवन में पर्चे फेंके और जिस को वाच एंड वार्ड अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उस ने एक घोर अपराध किया है और वह इस सभा के अपमान का दोषी है।

यह सभा आगे संकल्प करती है कि उस को 16 दिसम्बर, 1967 के सायंकाल 6 बजे तक के लिए साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया जाए।"

**श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर)** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा० राम सुभग सिंह ने रखा है, मैं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं और मेरी पार्टी यह चाहते हैं, कि देश में हिन्दी भाषा हो। अगर सरकार उस को नहीं करती है, तो हमें उस के विरोध का भी हक है। हम सदन में भी उस का विरोध करेंगे और बाहर भी विरोध करेंगे। हर जगह विरोध करेंगे, जब तक कि देश में हिन्दी भाषा नहीं होती है। लेकिन उस का एक तरीका है, एक विधान है। अगर हमारे देश में इस के लिए वायलैंस की जाएगी और अनकांस्टीट्यूशनल तरीके अपनाए जायेंगे, तो यहां पर पालियामेंटरी डैमोक्रेसी नहीं चल सकती है। सरकार ने अब तक यह परम्परा स्थापित की है कि जब तक वायलेंस नहीं होता है, तब तक वह कुछ नहीं करती है और यह बात ठीक नहीं है। सरकार की आफ़िशल लैंग्वेज अंग्रेजी या हिन्दी नहीं है, बल्कि उस की आफिशल लैंग्वेज पत्थर, रोड़े और वायलैंस हो गई है। मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी पालियामेंटरी डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, वह सदन में हुई आज की घटना को अच्छा नहीं समझेगी।

मैं अपनी पार्टी की ओर से इस संकल्प का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि आईन्दा इस प्रकार का कोई इन्सिडेंट सदन में नहीं होना चाहिए।

**SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool)** : Sir, on behalf of the Swatantra party, I support the motion of Dr. Ram Subhag Singh.

**MR. SPEAKER** : The question is :

"This House resolves that the person calling himself Shri Indra Deo Singh who threw pamphlets from the Visitors' Gallery on the Floor of the House at 5.5 p.m. today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, has committed a grave offence and is guilty of the contempt of this House.

This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 p.m. on the 16th December, 1967 and sent to Tihar Jail, Delhi."

*The motion was adopted.*

---

18.37 HOURS

## 'UNTOLD STORY' BY Lt. GEN. KAUL*

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

**श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर)**: उपाध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिन पहले इस सदन में जेनरल काल की किताब "अनटोल्ड स्टोरी" के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार की तरफ़ से कहा गया था कि सरकार उन के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चला रही है। मैं समझता हूं कि यह पक्षपात है। मेरी सूचना है कि ला मिनिस्ट्री ने यह कह दिया है कि जेनरल काल ने कानून की अवहेलना की है, कानून को तोड़ा है और देश के डिफेंस और सिक्यूरिटी के साथ खिलवाड़ की है और इस लिए उन के खिलाफ़ मुकदमा चलाया जा

*Half-an-hour discussion.

सकता है। इस स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता है कि उन के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही हैं। क्या इस लिए कि वह कांग्रेस के एक फ़ेवरिट है? क्या इस लिए उन के साथ यह पक्षपात किया जा रहा है?

इस किस्म का यह पहला मौका नहीं है। इस से पहले जेनरल चौधरी ने एक मिलिटरी कारेसपांडेंट की हैसियत से कुछ आर्टिकल लिखे थे, जिन का जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया है। मैं समझता हूं कि अगर यह परम्परा चलती रही कि जो जेनरल रिटायर हो जाए, वह पैसे के लालच में या किसी के कहने से देश की सीक्रेसी को खत्म कर दे, देश के डिफेंस के साथ खिलवाड़ करे, तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। मैं मन्त्रि महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। सीरियस मिसकन्डक्ट के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की पेन्शन रोकी जा सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आधार पर जेनरल काल की पेन्शन क्यों नहीं रोकी गई। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुए अपने वार्तालाप आदि सब सीक्रेट वार्ता को बता दिया और डिफेंस के बहुत से राज फाश कर दिए। इस लिए सीरियस मिसकन्डक्ट के आधार पर उन की पेन्शन को खत्म कर देना चाहिए था।

**श्री प्रेम चन्द वर्मा** (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर है। कोरम नहीं है, कार्यवाही नहीं चल सकती।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The bell is being rung.

The bell has stopped ringing and there is no quorum. The House stands adpourned till 11 A.M. tomorrow.

18.43 HOURS

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, December* 16, 1967/*Agrahayana* 25, 1889 (*Saka*).

---

L99 L.S.S./67—8-3-68—000—GIPF.